



Neutral Citation No - 2026:AHC:21896-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 2025 की 3421

राजू निरमल एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : महेश प्रसाद पाण्डेय, विनय कुमार पाण्डेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : रामानन्द पाण्डेय (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायाधीश न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. यह याचिका, अभिकथित रूप से लोकहित में, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रतिवादीगण को यह निर्देशित करने की याचना करते हुए दाखिल की गई है कि वे प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के विरुद्ध याचिकाकर्तागण द्वारा किए गए परिवाद की जाँच करें।

2. जब मामला न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया, तब प्रतिवादीगण को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था कि अपेक्षित दस्तावेज़ जाँच प्राधिकारी को उपलब्ध कराए जाएँ और एक आख्या प्रस्तुत की जाए।

3. आख्या प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपदर्शित किया गया है कि जाँच संचालित की गई थी और जाँच के उपरान्त परिवाद में लगाए गए अभिकथन सही नहीं पाए

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गए। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि जाँच संचालन के दौरान दो गुट आपस में लड़ने लगे थे और जहाँ तक याचिकाकर्तागण का संबंध है, वे तथ्यों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे और प्रत्यक्षतः किसी अन्य के इशारे पर कार्य कर रहे थे।

4. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता का यह तर्क है कि उनके पास यह दर्शाने हेतु सामग्री उपलब्ध है कि जो आख्या प्रस्तुत की गई है, वह त्रुटिपूर्ण है।

5. याचिका मूलतः किए गए अभिकथनों की जाँच की याचना करते हुए दाखिल की गई थी और अब, जब जाँच आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है, याचिकाकर्तागण द्वारा उसे ही चुनौती दी जा रही है।

6. जहाँ तक वर्तमान याचिका का प्रश्न है, वह निष्फल हो चुकी है। अतः, याचिका निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

7. तथापि, यदि याचिकाकर्तागण के पास आख्या के आधार पर कोई अन्य वाद-हेतुक विद्यमान है, तो वे विधि के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली)

2 फरवरी, 2020

आर.के./एस.एल.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"